

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी -श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :- 98/2018 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :-

प्रार्थीगण:-

- 1.ईशाखां 2.सलीमखां 3.नूराखां पि.जमालखां
- 4.बची पत्नि जमालखां जातियान मुसलमान
निवासी सुरपुरा (कोनरा) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:-

- 1.जाकों 2.हाका पि. बचीया (भलिया)
- 3.जुना पुत्र हुसैन, जातियान मुसलमान
निवासी सुरपुरा (कोनरा)

वकील प्रार्थीगण :- श्री मुकीम खान

वकील विप्रार्थीगण:- श्री मोहनसिंह सोढा, श्री उम्मेदसिंह सोढा



निर्णय

दिनांक 07.09.2022

प्रार्थीगण ईशाखां पुत्र जमालखां, वगैरा जाति मुसलमान, निवासी सुरपुरा (कोनरा), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सद्भावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जासुदा खेत मौजा सुरपुरा (कोनरा), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 650 रकबा 50.17 बीघा स्थित है। जिस पर उसके रहवास हेतु ढाणिया, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 73 रकबा 25.03

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर
चौहटन

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर
नकल पिटान कर्ता के हस्ताक्षर

बीघा एवं खसरा सं. 734/623 रकबा 25.03 बीघा भूमि मौजा सुरपुरा (कोनरा) में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, शामिल पत्रावली किये गये। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनसिंह सोढा एवं श्री उम्मेदसिंह ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से मूल आवेदन का जवाब पेश किया गया तथा मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण वकील की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के आधार पर मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का प्रार्थना पत्र खारीज किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है, अतः तहसीलदार चौहटन से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उस अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जावे।

वकील विप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने खसरा सं. 733/623 एवं 734/623 में से जो रास्ता चाहा है जो नजरी नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है, उक्त प्रस्तावित स्थल पूर्व या वर्तमान में कभी भी रास्ता नहीं रहा है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली नहीं है तथा मौके पर बाड़ व तारबन्दी आयी हुई है। विप्रार्थीगण के झूपे इत्यादि बने हुए है। अतः निवेदन है कि तहसीलदार चौहटन से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसे खारीज करते हुए आवेदन विधि के प्रावधानों के विवक्षित प्रस्तुत होने व सारहीन होने से सव्यय खारीज फरमाया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव आबदी बस स्टेशन, स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर
नकल मिलान कर्ता के हस्ताक्षर

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक कलेक्टर
चौहटन

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है—

| क्र. सं. | खसरा संख्या | रकबा बीघा में | किस्म | रास्ते की चौड़ाई फीट में | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा | मौजा | खातेदार का नाम |
|----------|-------------|---------------|--------|--------------------------|----------------------------------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 733/623 | 25.03 | बा.सो. | 20 फीट | 00.10 बीघा | सुरपुरा | जाको, हाका पि. बचीया (भलिया), कौम मुसलमान सा.देह खातेदार |

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंगन आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा सं. 733/623 एवं 734/623 के अंदर से जो रास्ता चाहिए गया है जिसमें ग्राम कोनरा से सुरपुरा जाने वाली डामर सड़क एवं खसरा सं. 650 के बीच नक्शे में तरमीम अनुसार खसरा सं. 733/623 एक ही खसरा लगता है।

अतः प्रार्थीगण को खसरा सं. 733/623 में बिन्दु सं. A से B लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 2 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हों तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमती पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर
नकल भिजान कर्ता के हस्ताक्षर

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

प्रमाणित
सहायक कलेक्टर

समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) - (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसंशन में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी।

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दौगुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दौगुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह



नकल तहसीलदार के हस्ताक्षर.
नकल विप्रार्थीगण के हस्ताक्षर.

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

प्रमाणित प्रतिदिनांक
सहायक कलेक्टर
चौहटन

राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिलेखि निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरो में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 07.09.2022 को दिया जाता है। तहसीलदार प्रस्तुत मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफतर दाखिल हो। संख्या से कम हो।




(भागीरथ राम) (1)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक कलेक्टर
चौहटन

नकल तैयार कराने के हस्ताक्षर...
नकल तैयार कराने के हस्ताक्षर...

रक्षाधिकार के तहत
 गाँव - खनपुर (फौजरी)
 तहसील - चौराहा

प्लान नं.
 सेक्टर (पु.
 सं.
 गाँव



सड़क
 प्रस्तावित सड़क

बहालदार (पु.स.)
 चौहान

09-11-19
 चौहान

09-11-19
 चौहान

इमा
 (इशा चौहान)
 मोहन (पु.स.)

सलीम (पु.स.)

अधिकारी
 चौहान

Ex-Court

अरबाब/कायम

नुरावा
 (नुरावा/पु.स.)

मुख्य अधिकारी
 चौहान

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर
 नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर

अधिकारी
 चौहान